

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत 34/10/2020 सिकराय (पैसा)
 सरकार बनाम राज्याच्या वरील
 मुकदमा 88, 188 RTA व 136 मु० नं० 17/17
 LRA 17

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

तमकी सं. 2 → आया वादीगण अपनी मरणा कब्र की भूमि पर पत्थरगढी करवाने, ख. नं. 234 की आवंम करवाने तथा ख. नं. 220 व 221 रहन विषय म करने बाबत परिवादीगण सं पाकंड करवाने के आदेशकारी हैं -
 वादीगण हका 18. 20.8.19 की ख. नं. 220 के परिवादीगण वता 11 के विरुद्ध वाद withdrawal कर लिया है अतः उनके विरुद्ध व कोई अनुरोध प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
 वादीगण निर्णय उपरांत अपनी खालेदारी की भूमि पर पत्थरगढी करवाने के आदेशकारी हैं। उर्द सं. 1 ख. नं. 221 की खालेदार कब्रकार है अतः इसकी खालेदारी की 25 तक उसे पाकंड नहीं किया जा सकता है।
 अतः यह तमकी आदेशिक तप सं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तमकी सं. 3 → आया वादीगण का भौंडे पर मरणा नहीं था व बाहुवल से मममाने स्थान पर मरणा किया है।
 वादीगण परिवादीगण की मरणा कब्रत की भूमि पर मरणा करना चाहते हैं - परिवादीगण।
 परिवादीगण हका अवकाशवा पेशा कर व दौरान कब्रत अपनी खालेदारी के अनुरोध मरणा कब्रत होने का कथन किया।
 मींस कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार उर्द सं. 1 ख. नं. 221 का डि 1.27 है। है जबकि मींस पर कां 1.32 है पर काबिल है अतः इस 25 तक दुमदली की जाती है।
 अतः यह तमकी आदेशिक तप सं परिवादी सं. 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तमकी सं. 4 → वादीगण हका मयी वरमीम के आधार पर मरणा कब्रत की गयी है अतः दुमदली करवाने के आदेशकारी नहीं है - परिवादीगण।
 परिवादीगण इस तमकी का स्थि कराने में असफल रहे हैं अतः यह तमकी विरुद्ध परिवादीगण निर्णित की जाती है।

तमकी सं. 5 → ख. नं. 220 के खालेदार उर्द सं. 9 वा 11 मृत व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश किया है जो खालेदारी योग्य है - परिवादीगण।
 परिवादी सं. 1 के अवकाशवा व मींस कमीश्नर रिपोर्ट

29.12.20 अहमदाबाद जिला-दोसा जज

